रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92

181

REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 177] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 20, 1992/चैत्र 31, 1914

No. 177] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 20, 1992/CHAITRA 31, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1992

सा. का. नि. 426(अ)— केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1968 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में पत्तन न्यास कर्मचारी (त्यौहार के सम्बन्ध में अग्रिम का अनुदान) विनियम 1992 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. पी. आर-12012/17/91-पी.ई.]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

अनुसूची

अनुबंध 74

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी

(त्यौहार के संबंध में अग्रिम का अनुदान)

विनियम, 1992

महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 28 के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का न्यासी बोर्ड एतद्द्वारा निम्न विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

(1) ये विनियम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (त्यौहार के संबंध में अग्रिम का अनुदान) विनियम 1992 कहलाएंगे।

(2) ये उस दिनांक से प्रवृत्त होंगे, जिस दिनांक को केन्द्र सरकार की तत्संबंधी मंजूरी राजपत्र में प्रकाशित की जायेगी।

2. परिभाषाएं :

इन विनियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अग्रिम" का तात्पर्य इन विनियमों के अधीन अनुज्ञेय अग्रिम से हैं,

(ख) "बोर्ड", "अध्यक्ष" और "विभाग प्रमुख" का क्रमशः वही तात्पर्य होगा, जो महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) में उन्हें समनुदेशित है,

(ग) "महत्वपूर्ण त्यौहार" का तात्पर्यः—

1. मकर संक्रांति
2. होली
3. रमजान (ईद-उल-फितर)
4. बुद्ध पूर्णिमा
5. स्वतंत्रता दिवस
6. पारसी नव वर्ष दिन
7. गणेश चतुर्थी
8. ओणम
9. ईद-ए- मिलाद
10. रोशहोशना
11. दशहरा
12. दिवाली
13. क्रिसमस
14. ऐसे किसी अन्य त्यौहार से हैं, जिसे अध्यक्ष उस त्यौहार के स्थानीय महत्व पर विचार करने के बाद सामान्य या विशेष आदेश द्वारा घोषित करे।

3. पालता की शर्तें :

(1) इन विनियमों के अधीन सभी तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अग्रिम का अनुदान दिया जायेगा

(2) यह अग्रिम निम्न व्यक्तियों को नहीं दिया जायेगा :

(एक) प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी,

(दो) ऐसे व्यक्ति जो बोर्ड की पूर्णकालिक सेवा में नहीं है,

(तीन) ऐसे व्यक्ति जिन्हें आकस्मिकता निधि से भुगतान किया जाता है,

(चार) प्रशिक्षणार्थी और शिशु और

(पांच) जिस महीने में अग्रिम दिया जाता है उस महीने के आगे कम से कम [illegible] की अवधि तक जिस कर्मचारी की सेवा में बने रहने की संभावना नहीं है, ऐसा कर्मचारी। जिन अस्थायी कर्मचारियों ने एक वर्ष का सेवाकाल पूरा नहीं किया है, उन्हें स्थायी कर्मचारियों से प्रतिभू दिये जाने पर त्यौहार अग्रिम अदा किया जायेगा।

(3) केवल महत्वपूर्ण त्यौहार के अवसर पर ही अग्रिम का अनुदान किया जा सकेगा।

(4) वित्तीय वर्ष में केवल एक बार ही यह अग्रिम अनुज्ञेय होगा।

(5) किसी कर्मचारी को वित्तीय वर्ष में एक बार से अधिक अग्रिम का अनुदान नहीं किया जायेगा, भले ही अग्रिम के लिए अर्ह त्यौहार वित्तीय वर्ष में दो बार आते हैं।

(6) किसी कर्मचारी को उस दशा में ही अग्रिम का अनुदान किया जा सकेगा यदि वह अग्रिम के आवेदन के दिनांक को कर्तव्यारूढ़ है, या अर्जित छुट्टी पर है या सेवा निवृत्तिपूर्व छुट्टी को छोड़कर प्रसूति छुट्टी समेत अन्य किसी तत्सम छुट्टी पर है।

(7) किसी कर्मचारी को तब तक अग्रिम का अनुदान नहीं किया जायेगा जब तक कि उसे पहले अनुदत्त किया गया अग्रिम पूर्णतया वसूल नहीं हो है।

4. अग्रिम ब्याज मुक्त होगा :

इन विनियमों के अधीन अनुदत्त अग्रिम ब्याज-मुक्त होगा।

5. अग्रिम की राशि :

कर्मचारी को अनुदत्त की जानेवाली अग्रिम की राशि एक हजार रुपयों से अधिक नहीं होगी।

6. अग्रिम के आवेदन का प्ररूप :

अग्रिम का आवेदन इन विनियमों के अनुबंध–1 में विहित प्ररूप में किया जायेगा।

7. अग्रिम का संवितरण:

अग्रिम का अनुदान जिस त्यौहार के लिए दिया जाता है उस त्यौहार के पूर्व अग्रिम की राशि संवितरण किया जायेगा।

8. अग्रिम की वसूली :

(1) कर्मचारी को प्रदत्त अग्रिम की राशि अधिक से अधिक दस समान मासिक किस्तों में उससे वसूल की जायेगी।

(2) जिस महीने में अग्रिम का संवितरण किया जाता है उसके अगले महीने के वेतन या यथास्थिति, छुट्टी वेतन से अग्रिम की राशि की वसूली आरंभ होगी।

9. निर्वचन :

इन विनियमों के निर्वचन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उठता है, तो वह बोर्ड को निर्दिष्ट किया जायेगा और उस पर बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

अनुबंध-1

(विनियम 6 देखिये)

महत्वपूर्ण त्यौहार के संबंध में अग्रिम के आवेदन का प्रारूप

1. आवेदक का नाम :
2. कर्मचारी संख्या
3. पदनाम, विभाग, कार्यालय और अनुभाग :
4. क्या आवेदन के दिनांक को कर्तव्यारूढ़ है या छुट्टी पर है : और, यदि छुट्टी पर है, तो छुट्टी का स्वरूप
5. प्रथम नियुक्ति का दिनांक :
6. अधिवर्षिता या सेवा-निवृत्ति का दिनांक :
7. त्यौहार का नाम, जिसके संबंध में अग्रिम की आवश्यकता है :
8. आवश्यक अग्रिम की राशि :
9. कितनी किस्तों में अग्रिम चुकता करना चाहते हैं, उनकी संख्या:
10. प्रमाणित किया जाता है कि—

(एक) मैंने चालू वित्तीय वर्ष में किसी त्यौहार के संबंध में अग्रिम नहीं लिया है; और

(दो) गत वित्तीय वर्षों में त्यौहार के संबंध में मुझे अनुदत्त अग्रिम पूर्णतया चुकता कर दिया गया है.

(आवेदक के हस्ताक्षर)
(दिनांक सहित)

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 1992

G.S.R. 426(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 124, read with sub-section (i) of section 132 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Jawaharlal Nehru Post Trust (Grant of Advance in connection with Festivals) Regulations, 1992 made by the Board of Trustees for the Port of Jawaharlal Nehru and set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[No. PR-12012|17|91-PE-I]
ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

SCHEDULE

Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Grant of Advance Inconnection with Festivals) Regulations, 1992

In exercise of the powers conferred by Clause (b) of section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Jawaharlal Nehru Port hereby makes the following regulations namely :

1. Short title and commencement.—(1) These regulations shall be called the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Grant of Advances in connection with Festivals) Regulations, 1992.

(2) They shall come into force on the date of the publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these regulations, unless the context otherwise requires.

(a) 'advance' means the advance admissible under these Regulations;

b) 'Board', Chairman and Head of Department shall have the meanings respectively assigned to them in the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963)

(c) 'Important festival' means—

1. Makar Sankranti/Pongal
2. Holi
3. Ramzan (Id-ul-Fitra)
4. Buddha Pournima
5. Independence Day
6. Ganesh Chaturthi
7. Parsi New Year Day
8. Onam
9. Ide-Milad
10. Rosh Hoshana
11. Dasara
12. Diwali
13. Christmas
14. Any other festival which the Chairman may declare by a general or special order, after taking into consideration the importance attached locally to such festival.

3. Conditions of eligibility ·

(1) The advance shall be granted to all employees holding Class III & Class IV posts or equivalent to that posts.

(2) Advance shall not be granted to :

(i) Employees holding Class I & II posts.

(ii) Persons not in the whole time employ of the Board;

(iii) Persons paid from contingencies; and

(iv) Trainees and apprentices.

(v) An employee who is not likely to continue in service for a period of at least one year beyond the month in which the advance is disbursed. Temporary employees who have not completed one year service will be paid festival advance on furnishing a surety from a permanent employees.

(3) An advance may be granted only on the eve of an important festival.

(4) An advance will be admissible only on one occasion in a financial year.

(5) An advance shall not be granted to an employee more than once in a financial year even if the festival qualifying for advance falls twice in a financial year.

(6) An advance may be granted to an employee, if he is on duty or on earned leave or any other leave equipment thereto including maternity leave, but excluding leave preparatory to retirement on the date on which the advance is applied for.

(7) An advance shall not be granted to an employee unless an advance already granted to him has been fully recovered.

4. Advance not to bear interest—An advance granted under these regulations shall be free of interest.

5. Amount of advance—The amount of advance which may be granted to an employee shall not exceed Rupees one thousand.

6. Form of application for advance—Applications for advance shall be made in the form prescribed in Annex. I to these regulations.

7. Disbursement of advance—The amount of advance shall be disbursed before the festival in respect of which the advance is granted.

8. Recovery of advance—(1) The amount of advance paid to an employee shall be recovered from him in not more than ten equal monthly instalments.

(2) The recovery of the amount of advance shall commence with the issue of pay or leave salary, as the case may be, for the month following that in which the advance is disbursed.

9. Interpretation—If any question arises as to the interpretation of these regulations, it shall be referred to the Board whose decision thereon shall be final

ANNEXURE I

(See regulation 7)

Form of application for advance in connection with important festival

1. Name of applicant

2. Employee Number

3. Designation, Department Office and Section

4. Whether on duty or on leave on the date of application and, if on leave, the nature of the leave

5. Date of first appointment

6. Date of Superannuation or retirement

7. Festival in connection with which advance is required

8. Amount of advance required

9. Number of instalments in which advance is desired to be repaid

10. Certified that—

(i) I have not drawn an advance in connection with a festival during the current financial year; and

(ii) The advance granted to me in connection with a festival in the previous financial year has been fully repaid.

(SIGNATURE OF APPLICANT)
(with date)

992 GI/92—2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992